राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1668/2024

मनोज मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, मकडवाली सड़क, अजमेर – 305004
3. प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, मकडवाली सड़क, अजमेर – 305004
4. Shree Gaurav Ankodia वर्तमान में जेईएन O/O एईएन (O&M) किशनगढ़, अतिरिक्त प्रभार एईएन (O&M) किशनगढ़ पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2024
आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लोकेश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर एविविएनल, किशनगढ़, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक अभियंता, किशनगढ़, अजमेर में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2015, 2017, 2018, 2020 एवं 2021 में बार–बार प्रत्येक वर्ष स्थानान्तरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है और पुनः अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का फिर स्थानान्तरण किया गया

है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका कथन है कि इस प्रकार बार–बार स्थानान्तरण किया जाना अपीलार्थी को हैरान व परेशान किये जाने के उद्देश्य से स्थानान्तरण किया गया है। जबकि अन्य कार्मिक एक ही वर्ग के काफी लम्बे समय से पदस्थापित हैं और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं तथा योग्य भी नहीं हैं, उन्हें उच्च पद का कार्य दे रखा है, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर एविविएनल, किशनगढ़, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक अभियंता, किशनगढ़, अजमेर में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किशनगढ़, जिला अजमेर में ही किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर जनहित में किया गया है और एक ही शहर में किया गया है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)